

13/12/22

पतावली पेरा हुई। अधि. वादी उपा. प्रकरण में अधि. वादी द्वारा उपारब्ध होकर प्रकरण में NOT Press किया गया। प्रकरण को अधि. वादी द्वारा NOT Press किये जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। इतर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पतावली फॉसल क्षुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

